मध्य प्रदेश शासन

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति

सचिवालय

कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, भूतल, वाएं विंग, श्यामला हिल, भोपाल–462002

दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, ई–मेल : afrcmp@gmail.com

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2016/4278 दिनांक – 20/10/16

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/अधिष्ठाता,
निजी क्षेत्र के गैर अनुदान प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय– समिति द्वारा विनियमित की गई शिक्षण शुल्क तथा अन्य मदों के ऐच्छिक शुल्क के संबंध में।
संदर्भ– इस सचिवालय का पत्र क्रमांक/सचि./ओएसडी/2016/1252 दिनांक 25.04.2016.

***

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निजी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के आगामी ब्लॉक अर्थात् सत्र 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 के शिक्षण शुल्क का विनियमन किया गया है, संबंधित संस्थाओं को इसके आदेश जारी करते हुये इनकी सूचना समिति, सचिवालय के पोर्टल पर भी प्रदर्शित की गई है। समिति द्वारा सत्र 2016–17 से ऐच्छिक मद में लिये जाने वाले शुल्क का निर्धारण भी किया गया है, जिसकी जानकारी इस सचिवालय के पत्र क्रमांक/सचि./ओएसडी/2016/1252 दिनांक 25.04.2016 के माध्यम से आपकी संस्था को प्रेषित की गई है।

समिति, सचिवालय को अभ्यार्थियों/अभिभावकों से विभिन्न श्रोतों से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें किये गये उल्लेखानुसार कुछ संस्थाओं द्वारा प्रवेशित छात्रों से समिति द्वारा विनियमित की गई शिक्षण शुल्क से अधिक शुल्क तथा ऐच्छिक मद में निर्धारित किये गये शुल्क से अधिक शुल्क की मांग की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा प्राप्त पत्रों को संज्ञान में लिया गया है तथा दिये गये निर्देशानुसार संस्था प्रवेशित अभ्यार्थियों से समिति द्वारा विनियमित शिक्षण शुल्क ही लेने की कार्यवाही करें तथा ऐच्छिक मदों में भी प्रवेशित अभ्यार्थियों से समिति द्वारा निर्धारित राशि ही ली जावें। सीट लीविंग बॉण्ड के संबंध में संस्था छात्रों से सत्र 2016–17 के प्रवेश नियम की कंडिका–21 (2) में दिये गये प्रावधानों –"**सीट लीविंग बॉण्ड**–आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा" के तहत कार्यवाही की जावे। संस्थायें यह भी सुनिश्चित करें कि प्रवेश नियमों में प्रावधान न होने पर किसी भी छात्र से साल्वेन्सी बॉण्ड अथवा अग्रिम शुल्क से संबंधित बॉण्ड प्राप्त न किया जावे।

संस्था द्वारा किसी भी स्थिति में समिति द्वारा विनियमित की गई शुल्क से अधिक शुल्क वसूलने तथा अथवा प्रवेश नियम में दिये गये प्रावधानों के अतिरिक्त छात्रों से साल्वेन्सी बॉण्ड की मांग किये जाने पर, समिति मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 तदोपरांत संशोधित अधिनियम–2013 की धारा–4 की उपधारा–9 में दिये गये प्रावधानों के तहत कार्यवाही करेगी।

अतः समस्त निजी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थिति में संस्था, समिति द्वारा विनियमित की गई शुल्क से अधिक शुल्क की वसूली न करें। सस्थायें इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी समिति, सचिवालय में भेजने का कष्ट करें ताकि समिति की आगामी बैठक में इसे संज्ञान में लिया जा सके।

N K Sharma 20/10/16

(डॉ. एन.के.शर्मा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

पृ.क्र./सचि./OSD/2016/4279

प्रतिलिपि–1. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

N K Sharma 20/10/16

(डॉ. एन.के.शर्मा)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी